न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 133 / 2018

RCMS Case No. 2018 / 00166

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थीः–**
सरकार जरिये तहसीलदार रानी		1. मोतीलाल गोदपुत्र पुनाराम जाति सिरवी निवासी बिजोवा तहसील रानी जिला पाली

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

–:: आदेश ::–

दिनांक 24/05/2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार बाली द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बिजोवा तहसील रानी के खसरा नम्बर 1487 रकबा 0.81 हैक्टेयर किस्म बंजड़ की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है। उक्त इन्द्राज भूमि मोहनलाल पुत्र टीकमदास कौम साद को आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 747 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। इसके पश्चात उक्त भूमि अप्रार्थी द्वारा क्रय की गई है, जिसके कारण वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया है। इस भूमि कि किस्म गै0मु0 नदी थी, जिसका आवंटन नही किया जा सकता है। अतः ग्राम माण्डल के नामान्तरकरण संख्या 747 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम बिजोवा तहसील रानी के हाल खसरा नम्बर 1487 की भूमि अप्रार्थी की खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 398/2 गै0मु0 नदी है। उक्त भूमि आवंटन करने से नामान्तरकरण संख्या 747 के जरिये मोहनलाल पुत्र टीकमदास कौम साद का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है, जिससे उक्त भूमि अप्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की गई है। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 398/2 की किस्म नदी थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी/नाला/वाला आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की अनुपालना में भी नदी/नाला/वाला की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ नियमन नियमो के अनुकूल नही कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू

अति. जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर गै0मु0नदी दर्ज किया जाना हैं। अतः मोहनलाल पुत्र टीकमदास कौम साद के पक्ष में किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में किए गए आवंटन आदेश क्रमांक/2540 दिनांक 31.08.1968 एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम बिजोवा तहसील रानी के नामान्तरकरण संख्या 747 को निरस्त करावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर,पाली